संख्या-13/3181/26-2-2014

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
2- समस्त पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त कोषाधिकारी, उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2014

विषय:- विभाग की समस्त पेंशन योजनाओं, अनुदान तथा छात्रवृत्ति आदि का सी0पी0एस0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में उपरोक्त समस्त लाभार्थीपरक योजनाओं यथा पेंशन योजनाओं, वृद्धावस्था पेंशन एवं रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना, शादी अनुदान एवं छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान सी0पी0एस0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खातें में किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त हेतु जनपद स्तरीय सम्बन्धित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु निम्नवत् कार्यक्रम निर्धारित किया गया है:-

क्रमांक	मण्डल का नाम	प्रशिक्षण का स्थान	निर्धारित तिथि
1.	मेरठ, सहारनपुर	मेरठ	15.01.2014
2.	आगरा, अलीगढ	आगरा	15.01.2014
3.	बरेली, मुरादाबाद	बरेली	15.01.2014
4.	कानपुर, झॉसी	कानपुर	17.01.2014
5.	फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती	फैजाबाद	17.01.2014
6.	इलाहाबाद, चित्रकूट	इलाहाबाद	17.01.2014
7.	गोरखपुर, आजमगढ़	गोरखपुर	20.01.2014
8.	वाराणसी, मीरजापुर	वाराणसी	20.01.2014

2- यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त जनपद स्तरीय समस्त अधिकारियों का डिजीटल हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जाय। सभी लाभार्थियों का बैकों में सी0बी0एस0 खाता खोलना अनिवार्य है। अत: जनपद के बैंकर्स के साथ मीटिंग कर दिनांक 31.01.2014 तक उक्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में पूर्ण करा ली जाय।

3- उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरान्त सभी लाभार्थियों को भुगतान सीधे उनके खातें में

http://shasanadesh.up.nic.in

सी0पी0एस0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से किये जाने हेतु समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या- 3181(1)/26-2-2014 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ जनपद स्तरीय समस्त अधिकारियों को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें तथा सतत् अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

3- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु समुचित स्थान निर्धारित कर सभी सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से सूचित करें तथा प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित करें।

5- विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

राज कुमार त्रिवेदी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in